

एस0 के0 माहेश्वरी
I.A.S. (Retd.)
परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल

ए-5, सैक्टर-24, नौएड़ा
जनपद-गौतम बुद्ध नगर, (उ0प्र0)
फोन नं0: 09818995118
ई-मेल: maheshwari.surendre@gmail.com
दिनांक:

पत्रांक संख्या : विद्याज्ञान/2019-20/
ओ.एम.आर. शीट नम्बर/यूनीक नम्बर -

विषय: आपके होनहार का विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित होने सम्बन्धी सूचना।
महोदय,

आपके होनहार द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु 'शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों' में अपना स्थान सृजित किया है।

2. शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा स्थापित "विद्याज्ञान स्कूल" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक उच्च कोटि की विश्वस्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा - योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों द्वारा सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रदान की जाती है तथा शिक्षा, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, पुस्तक तथा क्रीड़ा सहित समस्त सुविधायें नितान्त निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस सात वर्ष की अवधि में, सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम की अकादमिक शिक्षा तथा विद्यार्थी में विभिन्न श्रेणी की नेतृत्व की क्षमता एवं गुण सृजित करने के साथ - साथ एथलीट एवं भौतिक कार्यकलापों हेतु सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। इस गुणकारी क्षमता सृजन संबंधी नेतृत्व विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम एवं सुदृढ़ होना आवश्यक है।
3. "विद्याज्ञान नेतृत्व अकादमी" में अकादमिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया हेतु कठोर दैनिक दिनचर्या निर्धारित होती है जिसका निरंतर एवं सतत मूल्यांकन किया जाता है और प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यार्थियों को कुशलतापूर्वक सफल होना आवश्यक होता है, अन्यथा सतत एवं निरंतर मूल्यांकन के परिणाम एवं अकादमिक समिति की संस्तुति के अनुसार 'विद्याज्ञान स्कूल' में उचित स्तर पर अग्रिम अध्ययन से ड्रॉप किया जा सकता है।
4. अतः, लिखित परीक्षाओं के परिणाम के पश्चात परस्पर संवाद एवं विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, शपथ-पत्र एवं चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी सहमति (दोनों प्रारूप संलग्न) का स्वयं अध्ययन कर अथवा अन्य की सहायता से समझ विचार कर इस पृष्ठ के पीछे वर्णित विवरण के अनुसार विद्यार्थी को परस्पर संवाद, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा मूल अभिलेखों के साथ विद्यालय प्रांगण में भेजने का कष्ट करें। परस्पर संवाद तथा मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही विद्यार्थी को 'विद्याज्ञान स्कूल' में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।
5. विद्यार्थी से संबंधित विद्याज्ञान प्रारम्भिक परीक्षा वर्ष 2019-20 का प्रवेश पत्र तथा अनिवार्य प्रमाण पत्रों यथा राजस्व विभाग द्वारा निर्गत मूल आय प्रमाण-पत्र (अधिकतम 6 माह पुराना), मूल निवास प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी की आय संबंधी प्रमाण-पत्र (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी.सी.), कक्षा 3, 4, एवं 5 के परीक्षाफल की मूल प्रति, तथा विद्यार्थी के चार एवं विद्यार्थी के अभिभावक (माता/पिता) के दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित इस पत्र के पीछे वर्णित विवरण के अनुसार विद्याज्ञान स्कूल, (मानचित्र एवं संलग्न विवरण के अनुसार) में पहुँचाने का कष्ट करें। आपकी सुविधा के लिये विद्याज्ञान स्कूल हेतु पहुँच मार्ग का मानचित्र एवं अन्य सूचनाओं संबंधी विवरण/निर्देश इस पृष्ठ के पीछे मुद्रित हैं।
6. कृपया यह भी अवगत हों कि विद्याज्ञान प्रांगण में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है और उन्हें उसी संध्या को 5:00 बजे तक वापिस लौट जाना होता है।

शुभकामनाओं सहित!
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
(परियोजना निदेशक)

अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना

विद्याज्ञान स्कूल में बालिका/बालक के प्रवेश हेतु अभिभावकों को निम्नलिखित कागजात लाना अनिवार्य है:-

1. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्याज्ञान प्रारम्भिक परीक्षा वर्ष 2019-20 हेतु विद्यार्थी को निर्गत प्रवेश पत्र।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (बी0एस0ए0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित), जिस परिषदीय/सहायता पात्र प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिसमें जन्म तिथि प्रदर्शित होती है।
3. (अ) राजस्व विभाग द्वारा निर्गत चयनित विद्यार्थी के परिवार की आय सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (अधिकतम 6 माह पुराना) (ब) राजस्व विभाग द्वारा निर्गत स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
4. विद्यार्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व अभिभावक (माता और पिता) के दो-दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में अवश्य लायें।
5. पहने हुए एक जोड़ी कपड़े के अतिरिक्त केवल एक जोड़ी कपड़े ही साथ में लायें।
6. विद्यार्थी के लिए खाने का कोई भी सामान, नकदी, मोबाइल फोन अथवा ज्वेलरी आदि प्रतिबंधित है।
7. विद्यार्थी के सम्बन्ध में पूर्व में सम्पन्न टीकाकरण का विवरण तथा प्रमाण।
8. यदि विद्यार्थी किसी गम्भीर बीमारी जैसे मिर्गी, स्वींस, आदि जैसी बीमारी से ग्रस्त रहा है तो उपचार सम्बन्धी विवरण एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
9. अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने पाल्य को विद्याज्ञान विद्यालय में पहुँचाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पाल्य के नाखून एवं बाल भली भाँति कटें एवं स्वच्छ हों।
10. बालक को विद्यालय पहुँचाने के लिए साथ में माता या पिता में से कोई एक तथा बालिका को विद्यालय पहुँचाने के लिए माता तथा पिता दोनों आ सकते हैं।
11. विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का सूटकेस/अटैची/बक्शा/हैंडबैग आदि लाने की अनुमति नहीं है।

विद्यालय पहुँचने की तिथि एवं समय तथा पता एवं पहुँच मार्ग

दिनांक : 18.04.2019 (बृहस्पतिवार) समय प्रातः 7.00 बजे
स्थान : ग्राम सुरेचा, तहसील सिधौली, जनपद-सीतापुर (यू0पी0),

परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान

